

September 2018
LL. B. (Hons.) Fourth Semester Examination
Optional : LAW OF EDUCATION
Paper VI (A)

Time 3 Hours] http://www.davvonline.com

[Max. Marks 100
[Min. Marks 40]

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इस वापिस परीक्षार्थियों के लिए 60 मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति है।

Answer any five questions. All questions carry equal marks. The blind candidates will be given 60 minutes extra time.

1. यू. जी. सी. की स्थापना, गठन एवं अधिकार एवं कार्यों से सम्बंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिये। Explain the provisions relating to establishment, composition, power and functions of the University Grant Commission (U. G. C.).
 2. "भारतीय संविधान लोक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी देता है।" व्याख्या कीजिये। "Indian Constitution guarantees equality of opportunity in matters of Public Employment." Explain.
 3. संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 की परिणीति में अत्यरिक्त एवं शीक्षणिक अधिकारों की व्याख्या कीजिये। Explain cultural and educational rights of minorities within the content of Article 29 and 30 of the Constitution.
 4. भारत में महिलाओं की स्थिति का परीक्षण कीजिये क्या उसके मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु कानून पर्याप्त है? विवेचना कीजिये। Examine the Status of Women in India. Discuss whether laws are adequate to protect their Human Rights.
 5. संविधान के अनुच्छेदों 16 (1), 16 (2), 16 (3) (4) एवं 4 (क) की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये। Critically discuss Articles 16 (1), 16 (2), 16 (3) (4) and 4 (A).
 6. वर्तमान समय में शिक्षा के महत्व की व्याख्या कीजिये एवं आपके अनुसार शिक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाने हेतु सुझाव दीजिये। Explain the importance of education in present age and according to you, give suggestion to make the education more important.
 7. राज्यपालों की नियुक्ति कैसे होती है? शिक्षण संस्थाओं पर राज्यपाल कैसे नियंत्रण रखते हैं? क्या आप इससे संतुष्ट हैं? How the Governors are appointed? How the Governor control on education institutions? Are you satisfy from this?
 8. शिक्षा को राज्य विषय सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने के कारणों की विवेचना कीजिये। Explain the reasons for transferring education from the state list to the concurrent list.
 9. "शिक्षा के अवसर की समानता की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिये।" Discuss in brief on "Equality of Opportunity to Education".
 10. किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :

(अ) यू. जी. सी.	(ब) प्राकृतिक न्याय
(स) युक्तियुक्त वर्गीकरण	(द) शिक्षा एवं विधि
(इ) प्रस्तावना एवं शिक्षा का अधिकार	(फ) कुलपति
(ज) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये मूलभूत शिक्षा का अधिकार।	
- Write short notes on any four :**
- | | |
|---|-----------------------|
| (a) U. G. C. | (b) Natural Justice |
| (c) Reasonable Classification | (d) Education and Law |
| (e) Preamble and Right to Education | (f) Chancellor |
| (g) Fundamental Right to Education for Children below 14 years. | |